Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में

सभी उप–कार्यालय,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
हरियाणा राज्य।
यादि क्रमाक : भवन/अग्नि सुरक्षा/4588
दिनांकः 28.12.2012

विषयः– इस विभाग के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अग्नि सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबन्ध करने बारे।

विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएं –

1. संस्थान में अग्नि सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारियों तथा विशेष तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्नि शमक यन्त्रों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा संस्थान के सभी विद्यार्थियों को आग से बचाव की जानकारी दी जाए जिसका खर्चा भवन फण्ड से , नियमानुसार व संस्थान को दी गई शक्तियों अनुसार किया जाए तथा इसका रिकार्ड भी रखा जाए।
2. वर्ष में एक बार संस्थान में अग्नि सुरक्षा कैम्प लगवाया जाए जिसमें अग्नि शमक विभाग के प्रतिनिधी को भी शामिल किया जाए जिसका खर्चा भवन फण्ड से किया जाए।
3. प्रधानाचार्य /संस्थान के मुखिया की अध्यक्षता में संस्थान में फायर सैफटी कमेटी का गठन किया जाए जिसके पांच सदस्य हों। यह कमेटी संस्थान में आग लगने के कारणों की समीक्षा करेगी तथा अग्नि शमक यन्त्रों का नियमानुसार रख – रखाव कराएगी।
4. निदेशालय या अग्नि शमन विभाग के निरीक्षण के दौरान फायर नार्मज के अनुसार संस्थान में कोई भी कमी पाई जाती है या संस्थान में आग लगने की घटना होती है तो संस्थान की फायर सैफटी कमेटी निजि स्तर पर जिम्मेवार होगी।
5. जिन संस्थानों में 11 के वी सब– स्टेशन बनाए गए है वहां पर अग्नि सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किए जाएं।
6. संस्थान का मुखिया निजी स्तर पर निरीक्षण करेगा कि संस्थान में उपलब्ध मशीनरी की अर्थिंग सही प्रकार से हो तथा बिजली की तारें पुरानी न हों तथा बिजली का कोई भी कनैक्शन ढीला न हो ताकि आग लगने की संभावना से बचा जा सके।
7. संस्थान में अग्नि सुरक्षा रजिस्टर लगाया जाए जिसमें समय – समय पर की गई कार्यवाही अंकित की जाए ताकि निदेशालय द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सके।

की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया जाए।

28/12/2012

सहायक निदेशक (भवन)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।